उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, रामनगर (नैनीताल)

जान-माल हेतु खतरनाक विकास में बाधक खड़े वृक्षों के विक्रय हेतु सार्वजनिक निविदा की सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के अन्तर्गत भाखड़ा व हल्द्वानी राजि की खतरनाक वृक्षों की लौट सख्या 182/17-18 व 99,136,138,139,140/18-19 जो लौगिंग प्रभाग, केन्द्रीय हल्द्वानी को आवंटित मिश्रित खडे वृक्षो का "जैसे है जहाँ है" के आधार पर निविदायें जो दिनांक 14-08-2018 को आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 14-08-18 को अपरान्ह 2.00 बजे तक पंजीकृत/कोरियर डाक द्वारा कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, आमडन्डा, रामनगर (नैनीताल) के पते पर सीलबन्द निविदायें प्राप्त की जायेगी, जो उसी दिन महाप्रबन्धक(कु0 मं0) हल्द्वानी द्वारा गठित समिति के द्वारा कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक(पश्चिमी क्षेत्र),रामनगर के कार्यालय में दोपहर 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओ के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक(कु0क्षे0) हल्द्वानी द्वारा खोली जायेगी।

निविदाफार्म, विक्रय सूची एवं निविदा शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम,आमडन्डा,रामनगर(नैनीताल) से प्राप्त कर सकते है।

दूरभाष नं0 05947-251233

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
उ0 रामनगर।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खड़े वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. खड़े वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही **'जहाँ है जैसा है'** के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
   (I) नीलाम/निविदा नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रू0 10,000/- (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.15% या रू0 11,000/- जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पद नाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नगद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
   (II) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानतें/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयकों के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओं की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्तम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-
   (I) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण पत्र (II) पैन कार्ड एवं (III) आधार कार्ड और (IV) राशनकार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालक अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता को चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लाट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जाएगा।
5. (I) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 11.8 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
   (II) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 11.8 प्रतिशत जमानत जमा करना अनिवार्य है।
   (III) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
   (IV) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा जमानत की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की **तिथि** से 30 **(तीस दिन)** के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने को बाध्य नहीं होगा एंव जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।
9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) **20 दिन** के भीतर जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में अवशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ **अधिकतम 10 (दस दिन)** दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लाट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NEFT/E-Paymen द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रू0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।